



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13072022-237268
CG-DL-E-13072022-237268

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 12, 2022/आषाढ़ 21, 1944

No. 175]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 12, 2022/ASHADHA 21, 1944

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2022

फा. सं. 23/26/2020-आरएंडआर-भाग(1).—डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और प्रचालन (डीबीएफओओ) आधार पर स्थापित ताप विद्युत स्टेशनों से विद्युत की दीर्घावधि अधिप्राप्ति और शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला (कोल) ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया) नीति के बी(I),बी(III)एवं बी(IV)के अंतर्गत कोयला आबंटन सहित मॉडल बोली दस्तावेजों के अंतर्गत यथाउपबंधित ईंधन मंगाने के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन।

1.0 भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग-I, खंड-1) में दिनांक 06 मार्च, 2019 को प्रकाशित संकल्प संख्या 23/17/2013-आर एंड आर (वॉल्यूम-IV) भाग-4 द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अंतर्गत डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और प्रचालन (डीबीएफओओ) के आधार पर स्थापित ताप विद्युत स्टेशनों से विद्युत की दीर्घावधि अधिप्राप्ति और शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला (कोल) ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया) नीति के अंतर्गत बी(I),बी(III)एवं बी(IV)के अंतर्गत कोयला आबंटन सहित मॉडल बोली दस्तावेजों के अंतर्गत यथाउपबंधित ईंधन के स्रोत के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए गए थे।

2.0 दिनांक 06 मार्च, 2019 को अधिसूचित कथित दिशा-निर्देशों में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, अर्थात् -

पैरा 5 के बाद निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा

“6. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग एमपीएसए (मॉडल पावर सप्लाई एग्रीमेंट)-डीबीएफओओ के पैरा 22.2.3 एवं 22.2.5 में यथाउल्लिखित ईंधन प्रभारों की गणना के लिए, मासिक आधार पर, वृद्धि दरें अधिसूचित करेगा।

बशर्ते कि दिशा-निर्देशों और बोली दस्तावेजों में यह संशोधन इस अधिसूचना की तारीख के बाद की जाने वाली बोली के लिए प्रभावी होगा।”

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 11th July, 2022

F. No. 23/26/2020-R&R-Part(1).—Amendments to the Guidelines for long term Procurement of Electricity from Thermal Power Stations set up on Design, Build, Finance, Own and Operate (DBFOO) basis and sourcing fuel as provided under Model Bidding Documents including allocation of coal under B(I), B(III) and B (IV) of SHAKTI (Scheme for Harnessing and Allocating Koyala (Coal) Transparently in India) Policy.

1.0 The Guidelines for long term Procurement of Electricity from Thermal Power Stations set up on Design, Build, Finance, Own and Operate (DBFOO) basis and sourcing fuel as provided under Model Bidding Documents including allocation of coal under B(I), B(III) and B (IV) of SHAKTI (Scheme for Harnessing and Allocating Koyala (Coal) Transparently in India) Policy, was notified under the provisions of Electricity Act, 2003 vide resolution No 23/17/2013 -R&R (Vol- IV) Part – 4 published in Gazette of India (Extraordinary) (Part I – Section 1) on 06th March 2019.

2.0 The following Amendments are hereby made in the said guidelines notified on 06th March, 2019 namely:-

The following shall be inserted after Para 5

“6. Central Electricity Regulatory Commission shall notify the escalation rates, on a monthly basis, for computation of fuel charges as mentioned in paras 22.2.3 and 22.2.5 of the MPSA(Model Power Supply Agreement)-DBFOO.

Provided that the amendment in the Guidelines and the bidding documents shall be effective for the bidding to be done after the date of this notification.”

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.